रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, बुधवार, मई 8, 2013/वैशाख 18, 1935
No. 99] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 2013/VAISAKHA 18, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 6 मई, 2013

विषय : यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी पेस्ट रेजिन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच (सेस्टेट द्वारा वापस भेजा गया मामला)।

सं. 15/27/2008–डीजीएडी.– समय–समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय–समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने दिनांक 4 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 15/27/2008–डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम (सेस्टेट द्वारा वापस भेजा गया मामला) अधिसूचित किया है ।

दिनांक 4 अप्रैल, 2013 की उक्त अधिसूचना सं0 15/27/2008–डीजीएडी के पैरा 134 में निम्नानुसार उल्लेख है :

> 134. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । तद्नुसार, संबद्ध क्षेत्र के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि और पहुंच मूल्य के बीच अंतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है ।

पैरा 134 में सुधार किया जाता है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए :

> 134 प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । तद्नुसार, संबद्ध

क्षेत्र के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों के संबंध में निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में निर्दिष्ट राशि के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है ।

जे.एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 6th May 2013

**Subject:—Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty imposed on imports of PVC Paste Resin originating in or exported from European Union—Final Findings (CESTAT remand case).**

**F.No.15/27/2008–DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time, (hereinafter referred to as the AD Rules) thereof; the Designated Authority has notified the final findings **(CESTAT remand case)** vide notification No. 15/27/2008-DGAD dated 4th April 2013.

Para 134 of the said notification No. 15/27/2008-DGAD dated 4th April 2013 states as follows :

> 134. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the difference between the amount indicated in Col 8 of the table below and the landed value is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from the subject territory.

Para 134 is corrected to read as follows

> 134. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty as per amount specified in Col 8 of the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods originating in or exported from the subject territory.

J.S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.